न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

अपील प्र0 क0 1246–तीन/1998 विरूध्द आदेश दिनांक 26–03–98 पारित अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक 365/1994–95 अपील.

1– स्वामीप्रसाद पुत्र लीलाधर यादव
2– बृजेन्द्रसिंह पुत्र लीलाधर यादव
निवासी ग्राम मेंदवारा, तह0 जतारा,
जिला टीकमगढ़, म0प्र0

---- अपीलार्थीगण

विरूध्द

1– बलवन्तसिंह पुत्र सेवदीन यादव
निवासी ग्राम मेंदवारा, तह0 जतारा,
जिला टीकमगढ़, म0प्र0
2– मध्यप्रदेश शासन

–– उत्तरवादीगण

श्री एस0के0 बाजपेयी, अभिभाषक – अपीलार्थीगण
श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक– उत्तरवादी क0–1
श्रीमती नीना पाण्डे, पैनल अभिभाषक– उत्तरवादी क0–2 शासन

आदेश

(आज दिनांक 5.5. 2014 को पारित)

यह अपील का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अन्तर्गत अपर

आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 365/1994–95 में पारित आदेश दिनांक 26–03–1998 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि उत्तरवादी बलवंतसिंह व्दारा अपने भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम मेंदवारा में स्थित भूमि खसरा नं0 109 एवं 110 कुल रकबा 1.415 हे. का विनियम शासकीय भूमि खसरा नं0 22 एवं 23 कुल रकबा 1.415 हे. से करने हेतु आवेदनपत्र कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया। कलेक्टर व्दारा आवेदनपत्र की जॉच नायब तहसीलदार से कराने के पश्चात अपने आदेश दिनांक 29–1–90 व्दारा भूमि के अदला–बदली की स्वीकृति प्रदान की। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत की गयी अपील अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 26–3–98 व्दारा खारिज की। अतः अपीलार्थी व्दारा यह व्दितीय अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया। अपीलार्थी के अभिभाषक व्दारा लिखित तर्क भी प्रस्तुत किये गये हैं। अपीलार्थी के अभिभाषक का तर्क है कि सर्वे क0 109 एवं 110 अपीलार्थी व्दारा पंजीयत विकयपत्र दिनांक 19–02–1992 से उत्तरवादी बलवंतसिंह से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया गया। उनका तर्क है कि कलेक्टर ने चरनोई की भूमि को संहिता की धारा 234 एवं 237 के अन्तर्गत कार्यवाही कर आदेश पारित किये बिना ही चरनोई से पृथक कर बंजर अंकित कराया गया है। शासकीय चरनोई की भूमि सार्वजनिक निस्तार की भूमि थी जिसे संहिता की धारा 234 एवं 237 के अन्तर्गत विधिवत कार्यवाही के पश्चात ही चरनोई से पृथक किया जा सकता था। चरनोई की भूमि का म0प्र0राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार–3 कण्डिका 20 के अधीन किया गया विनिमय अवैध है। इस संबंध में उनका यह भी तर्क है कि शासकीय भूमि काबिल काश्त नहीं थी और ना ही अभिलेख में काबिल काश्त की प्रविष्टि थी, इसलिये भी

उत्तरवादी को विनिमय में नहीं दी जा सकती थी। विनिमय के पूर्व विधिवत इश्तहार प्रकाशित नहीं किया गया और ना ही ग्राम पंचायत का विधिवत अभिमत लिया गया। अन्त में उनका तर्क है कि उत्तरवादी क0--1 ने ना सिर्फ अपीलार्थी के साथ धोखाधड़ी की है, बल्कि शासन को भूमि विनिमय में देने के बाद उसका विकय किया है। अतः उन्होंने अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ उत्तरवादी क0--1 के अभिभाषक का तर्क है कि शासकीय भूमि सर्वे क0 22 एवं 23 राजस्व अभिलेख में बंजर भूमि दर्ज है और उत्तरवादी व्दारा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया जाकर इस भूमि से अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि से विनिमय कराया गया है। कलेक्टर ने आदेश पारित करने के पूर्व नायब तहसीलदार से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है और अनुविभागीय अधिकारी ने प्रतिवेदन अनुशंसा सहित कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। कलेक्टर के समक्ष ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पारित कर विनिमय करने की अनुशंसा की गयी है तथा प्रकरण में विधिवत इश्तहार का प्रकाशन कर आपत्तियॉ आमंत्रित की गयी थी। अतः उन्होंने अपील खारिज करने का अनुरोध किया। उत्तरवादी क0--2 शासन के अभिभाषक व्दारा उत्तरवादी क0--1 के अभिभाषक के तर्कों से सहमति व्यक्त की गयी।

5/ कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 29--1--90 में यह उल्लेख किया है कि भूमि की अदला बदली किये जाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा ग्राम पंचायत ने भी सहमति दी है। इश्तहार प्रकाशित किये जाने पर किसी को आपत्ति नहीं है तथा नायब तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी, जतारा ने अनुशंसा की है। कलेक्टर के अभिलेख में उपलब्ध खसरा पंचसाला की प्रमाणित प्रतिलिपि वर्ष 1984--85 से 1988--89 में भूमि क0 22 एवं 23 बंजर अंकित है तथा खसरे के कॉलम नं0 12 में "आज्ञा देखे नं0 15 गोचर से बंजर" अंकित है तथा कब्जा बारेलाल तनय सेवदीन यादव का अंकित है।

पटवारी ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 29–4–89 में यह उल्लेख किया है कि आवेदक बारेलाल एर्फ बलवंत तनय सेवदीन की पटेली भूमि नाले के किनारे स्थित है एवं नाकाबिल काश्त है। बंजर भमि काबिल काश्त है एवं इस भूमि का इन्होंने सुधार कर लिया है एवं काश्त करते हैं। इस अदला बदली से सार्वजनिक हित में कोई बाधा नहीं है। ग्राम पंचायत व्दारा पारित प्रस्ताव की प्रति कलेक्टर के अभिलेख पृष्ठ 23 पर उपलब्ध है जिसमें पटेली भूमि ख0नं0 109, 110 को बंजर भूमि खसरा नं0 22, 23 से परिवर्तित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है। नायब तहसीलदार ने भी अपने प्रतिवेदन दिनांक 12–7–89 में भी बंजर भूमि का आवेदक/उत्तरवादी व्दारा सुधार करना व कब्जा होना अंकित किया है। आवेदक व्दारा प्रश्नाधीन शासकीय भूमि खसरा नं0 22 एवं 23 चरनोई होकर सार्वजनिक उपयोग में आने के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि पटवारी, नायब तहसीलदार तथा ग्राम पंचायत ने अपने प्रस्ताव में प्रश्नाधीन भूमि नं0 22 एवं 23 बंजर होना अंकित किया है, इस कारण अपीलार्थी का तर्क मान्य योग्य नहीं है। चरनोई की भूमि होने पर ही विनियम के पूर्व संहिता की धारा 234 एवं 237 के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक है, किन्तु प्रश्नाधीन भूमि विनिमय के पूर्व से ही राजस्व अभिलेख में बंजर भूमि अंकित है, इसलिये संहिता की धारा 234 एवं 237 का उल्लंघन होना मान्य नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष में द्वितीय अपील में हस्तक्षेप का पर्याप्त आधार नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील खारिज की जाती है। अपर आयुक्त, सागर संभाग का आदेश दिनांक 26–03–98 एवं कलेक्टर,टीकमगढ़ का आदेश दिनांक 29–01–90 यथावत रखे जाते हैं।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0